बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :- 93

दिनांक 8/7/2008

सेवा में,

प्रधान सचिव, गृह विभाग।

विषयः-**बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रखंड/अंचल में पदस्थापित पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए अंचल गार्ड तथा नक्सलवाद एवं अपराधिक घटना से प्रभावित क्षेत्र में पदाधिकारियों को अंगरक्षक उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान सरकार के द्वारा पूर्व में लिये गये नीतिगत निर्णय की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि दिनांक 28.06.08 को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर संध से हुई वार्ता में संघ की ओर से मांग की गई थी कि सरकार के द्वारा अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति कराने के निर्णय को दृढ़तापूर्वक लागू करना है तथा ऐसी व्यवस्था बनायी जाय कि प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलधिकारी के नियंत्रण में यह बल रहे तथा उनके आदेशानुसार कार्य करे।

गृह (विशेष) विभाग के पत्रांक 1804 दिनांक 10.09.86 के द्वारा अंचल गार्ड के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था तथा कुछ ही दिनों में जब प्रखंड एवं अंचल की विधि व्यवस्था पर इसका कुप्रभाव पड़ा तब गृह विभाग के द्वारा संकल्प ज्ञापांक 748/सी0 दिनांक 02.07.92 निर्गत किया गया, जिसमें अंचल गार्ड को पूर्ववत् स्थापित करने का निर्णय लिया गया (प्रतिलिपि संलग्न)।

दिनांक 02.07.92 को निर्गत इस संकल्प के बाद भी सही ढ़ग से पुनः प्रतिनियुक्ति नहीं हुई। इसी बीच बांका जिला के कटोरिया प्रखंड के प्रखंडविकास पदाधिकारी प़र जान लेवा हमला करने के बाद "बासा" द्वारा पुनः ध्यान आकृष्ट कराया गया। तब गृह विभाग से पत्रांक-W/क-0-11-94-398 दिनांक 04.04.94 निर्गत हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से सरकार का निर्णय संसुचित किया गया कि सभी अंचलों में रेगुलर पुलिस को अंचल गार्ड के रूप में पदस्थापित किया जाय तथा उसका पूर्ण नियंत्रण अंचल अधिकारी/प्रखंडविकास पदाधिकारी के अधीन रहे।

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(O) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
1. शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

2. अखलाख अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार,
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
1. राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

2. अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्रशेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

इस पत्र की प्रति सभी जिला पदधिकारी एवं आरक्षी अधिक्षकों को दी गई तथा आरक्षी महानिदेशक बिहार के अलावे प्रमंडलीय आयुक्तों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र दिया गया।

जिला स्तर के वरीय पदाधिकारीयों की असंवेदनशीलता का खामयाजा "बासा" को पुनः भुगतना पड़ा तथा एक नौजावन पदाधिकारी की नृशंस हत्या हो गई इसके पश्चात पुनः गृह विशेष विभाग के द्वारा पत्रांक–विविध–27051/93 –140 दिनांक 23.01.96 निर्गत कर सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षकों को निदेशित किया गया कि पूर्ण कालिक अंचल गार्ड प्रतिनियुक्त जाय तथा नक्शल प्रभावित प्रखंडो/अंचलो में बिना किसी अपवाद के बिहार पुलिस/बी0 एम0 पी0 ही प्रतिनियुक्त किया जाए जो प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के नियंत्रणं में रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में बिना राज्य आदेश के पूर्व आदेशक अंचल गार्डों को विधि व्यवस्था हेतु क्लॉज–अप नहीं किया जायेगा। हालांकि अंचल गार्डो का कमान संबंधित थाना को ही दी गई परन्तु सरकार की स्पष्ट मंसा संसूचित कि गई की प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के ही नियंत्रण में ही यह बल रहेगा तथा बिना राज्य सरकार के आदेश के "क्लोज–अप" नहीं होगा (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)।

आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन) के द्वारा दिनांक 15.01.1996 को वितंतु संवाद भेजते हुए सभी आरक्षी अधीक्षकों/क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षकों को सरकार के इस निर्णय का अनुपालन करने के लिए निदेशित किया गया।

आपसे अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी के लिए पूर्व में सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयानुसार एक सेक्शन बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय। जिन जिलों में गृह रक्षकों को आरक्षी अधीक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो सरकार के संकल्प के विपरीत कृत कार्रवाइ है, उसे तुरंत बदलवाया जाए।

"बासा" यह अपेक्षा करती है कि अविलम्ब बी0एम0 पी0 /जिला बल की प्रतिनियुक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के नियंत्रणाधीन रहने के आदेश पुनः निर्गत किया जाय तथा बिना राज्य सरकार के आदेश के किसी भी परिस्थिति में बल को आरक्षी अधीक्षक क्लोज–अप नहीं करें। इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

आप अवगत हैं कि पदाधिकारी यदि भयमुक्त होकर काम नहीं करेंगे तो सरकार की नीतिओं का कियान्वयन नहीं हो सकेगा। कहीं कहीं समाजिक तत्वों गलत कार्य होगा । जिसके लिए सरकार पदाधिकारियों को दोषी मान रही है परन्तु परिस्थितिजन्य वह कार्य हो रहा है। ऐसे अनुमंडल/जिला कार्यालय जहाँ नक्सलवादी घटना एवं माओवादी घटना पिछले वर्षो में घटित हो रही है वहां बासा के पदाधिकारियों को अंगरक्षक दिया जाय। अगर अंग रक्षक की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है तो संघ की यहमांग है कि उन्हें सर्विस रिवाल्वर मुहैया करायी जाय ।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में बिहार प्रशासनिक सेवा अपने पदाधिकारियों के प्राण रक्षार्थ सरकार से मांग करती है। वर्तमान सरकार से संघ की यह अपेक्षा है कि अपने पदाधिकारियो के प्राण रक्षार्थ पूर्व के निर्णय को ठोस रूप से क्रियान्वित करायेगी। उन्हे सर्विस रिवाल्वर/पिस्टल किफायति दर पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार से पूर्व में सरकार के समक्ष मांगे रखी जा चुकी है परन्तु इस ओर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवश्यकता का आकलन जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक एवं अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त के त्रिसदस्य समिति से करायी जाए।

आपसे अनुरोध है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी जिनके जिम्मे राज्य की विकास की अधिकांश कार्य है उन्हें भेयमुक्त होकर कार्य करने की स्थिति बनाए एवं उनके प्राण रक्षार्थ उपर्युक्त निर्णय को अविलंव क्रियान्वयन कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

8/1/2008

(ए.सी. मिश्र)

अध्यक्ष।